AGRA POLICE

"सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा"

प्रेस नोट थाना जगदीशपुरा जनपद आगरा। **दिनांक 26.07.2022**

थाना जगदीशपुरा पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म की घटना में संलिप्त वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार....

दिनांक 13.03.2022 को वादिया द्वारा थाना जगदीशपुरा पर सूचना दी गयी कि अभिषेक कुमार उर्फ बिट्टू अपने परिजनों के साथ षड़यन्त्र के तहत वादिया को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर होटल में बुलाया और वहां पेय पदार्थ में नशीला पदार्थ मिलाकर दुष्कर्म किया गया। जब वादिया ने उसके परिजनों को बताया तो उन्होंने गाली गलौच करके भगा दिया और उसकी शादी अन्य दूसरी लड़की से कर देने के सम्बन्ध में थाना जगदीशपुरा पर मु0अ0सं0 130/2022 धारा 328/376/504/494 भादवि पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त घटना में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में, क्षेत्राधिकारी लोहामण्डी के सफल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी जगदीशपुरा को टीम गठित करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

इसी क्रम में दिनांक 25.07.2022 को थाना पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में गश्त की जा रही थी। इस दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुयी कि उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त इस समय आईएसबीटी मोड़ पर कहीं जाने की फिराक में खड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम बताये स्थान पर पहुंच एक बारगी दबिश देते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

अभियुक्तगण का नाम :–

01. अभिषेक कुमार उर्फ बिट्टू पुत्र अरुण प्रसाद नि0 दनियावां थाना दनियावां पटना बिहार हाल पता ग्राम व थाना नगरनौसा जनपद नालंदा बिहार।

आपराधिक इतिहास का विवरण :–

मु0अ0सं0 130/2022 धारा 328/376/504/494 भादवि

पुलिस टीम का विवरण :–

01. प्रभारी निरीक्षक श्री देवेन्द्र शंकर पाण्डेय थाना जगदीशपुरा जनपद आगरा।
02. व0उ0नि0 ब्रजेश कुमार गौतम थाना जगदीशपुरा जनपद आगरा।
03. का0 प्रणवीर सिंह थाना जगदीशपुरा जनपद आगरा।
04. का0 सुनील कुमार थाना जगदीशपुरा जनपद आगरा।

मीडिया सेल जनपद आगरा।